न्यायालय [redacted] तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 273/18 तारीख रजू 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का सांथपुरी बनाम श्री छोटू पुत्र मोहना जाति मीना निवासी साथपुर तहसील महवा।

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 14/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री छोटू ने ग्राम साथपुर-I को भूमि ख.न. 202 रकबा 0.05 किस्म चरागाह फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2075 में गेहूं कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नही आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया अतिक्रमी के विरूध्द एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है। अत: अतिक्रमी के विरूध्द कार्यवाही किया जा उचित है

अत: आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 202 रकबा 0.05 किस्म चरागाह वाके ग्राम साथपुर-I से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.80 का 50 गुणा 40 रू. शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल गेहूं को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 53 पर
वर्ष 2017-18 में पेनल्टी/ नीलामी
की राशि 40 रू. पै०
की जमा की गई।
दिनांक 5/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा